न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टी ए/6079/2004/नागौर

1. जडावली पत्नी चुनाराम
2. नाथू राम 3.प्रेमाराम 4.जगदीश 5. रमेश
6. सीतूडी
7. कमला पिसरान चुनाराम
8. कुन्नाराम फौत जरिये कायम मुकाम–

8/1. अणदा 8/2 हंसाराम 8/3. धारू पिसरान कुन्नाराम
8/4.सैती पुत्री कुन्नाराम पत्नी माणक निवासी आलनीवास तहसील डेगाना
8/5.शारदा पुत्री कुन्ना राम पत्नी जगन्नाथ निवासी कुडकी तहसील जैतारण जिला पाली

9. डूंगाराम पुत्र नैनूराम

समस्त जाति बावरी निवासी ग्राम पादूखुर्द तहसील मेडता जिला नागौर

अपीलार्थी

बनाम

टीकुराम पुत्र चौथाराम जाति बाबरी निवासी पादूखुर्द तहसील मेडता जिला नागौर

प्रत्यर्थी

खण्ड पीठ

श्री मनोज कुमार नाग सदस्य
श्री सतीश चन्द्र गोदारा सदस्य

उपस्थित
श्री राजेश गौतम अभिभाषक अपीलार्थी
श्री एस.पी.सिंह अभिभाषक प्रत्यर्थी
श्री वीरेन्द्र सिंह राठौड अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः 15–11–2019

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय व डिक्री दिनांक 16–12–2003 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी मेडता के न्यायालय में प्रत्यर्थी वादी ने

अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा 88,188 के अन्तर्गत वादपत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1व3 की ओर से जबाब दावा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दौराने दावा प्रतिवादी चूनाराम के फौत होने पर उसके कायम मुकामान को रेकार्ड पर लिया गया। बाद में प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अभिभाषक प्रत्यर्थी की एक पक्षीय बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 1–5–2003 से दावा वादी खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 16–12–2003 के द्वारा अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 1–5–2003 को निरस्त दावा वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय बअपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि वादी ने उक्त दावा गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया था क्योंकि अपने दावे में विवादित आराजी को पैतृक साबित करने हेतु उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिये थे लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं हुआ है जिससे यह साबित हो कि वादी वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से पर काश्त कर रहे थे एवं लगातार 12 वर्षो से उनका कब्जा था। बीगोडी की रसीदों में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है जिससे यह साबित हो कि उक्त रसीदात वादग्रस्त आराजी के हों। मौखिक साक्ष्य में भी यह साबित नहीं हो

पाया कि वादग्रस्त आराजी मोडाराम की थी। इन सभी तथ्यों को मध्य नजर रखते हुये एवं अपने निर्णय में इनका हवाला देते हुये विचारण न्यायालय ने वाद सही रूप से खारिज किया है जिसे पलट कर राजस्व अपील प्राधिकारी ने विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 कुनाराम द्वारा राजीनामा प्रस्तुत करना बताया है लेकिन उक्त राजीनामा कानून विरूद्ध है। क्योंकि तीन भाईयों में से एक भाई द्वारा राजीनामा दे दिया जाता है तो यह नहीं माना जावेगा कि उस राजीनामे के बाकी पक्षकार भी बाधित हैं। इसलिये इस राजीनामे को मानने में भी राजस्व अपील प्राधिकारी ने विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ था बल्कि उक्त दावा एकतरफा आदेश के द्वारा खारिज किया था। क्योंकि उक्त बिन्दु का असल तथ्य यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य एक घरू राजीनामा हुआ था जिसके अन्तर्गत वादी जितनी भूमि पर काबिज था वह उसे दे दी गई एवं बाद में उस जमीन की रजिस्ट्री प्रतिवादीगण द्वारा करा दी गई थी और राजीनामे में यह तथ्य विशेरू रूप से मुख्य था कि उक्त राजीनामे के बाद वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी तरह का झगडा या मुकदमेबाजी नहीं होगी और उसकी एवज में जो पक्षकार ऐसा करेगा वह दण्ड का भागीदार होगा। यह राजीनामा पंचायत एवं गांव वालों की मौजूदगी में सर्वसम्मति से हुआ था जिसकी ताईद में प्रतिवादीगण ने किसी तरह का कानूनी कदम नहीं उठाया लेकिन वादी के मन में बेइमानी आ जाने से उन्होंने राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी। जिसे उन्होंने एकतरफा में स्वीकार कर लिया जो विधि विरूद्ध है। अपीलीय न्यायालय द्वारा उन्हें सम्मन भी नहीं भेजे और विचारण न्यायालय के आदेश अनुसार ही अपीलीय न्यायालय ने यह कह दिया कि प्रार्थी प्रतिवादीगण न तो दावे में हाजिर हुये और इस अपील में

भी हाजिर नहीं आये हैं। इसलिये प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादी व प्रतिवादी यएक ही सजरा खानदान के सदस्य हैं जो स्व. मोडाराम के वंशज हैं। वादग्रस्त आराजी मोडाराम से उत्तराधिकार में प्राप्त होना बताया। मोडाराम के दो पुत्र चौथाराम व नैनूराम का आधा आधा बट होना बताया। प्रत्यर्थी के पिता के स्वर्गवास के समय नैनाराम के शामिल रहते थे और शामिल ही कब्जा व काश्त था। उनके स्वर्गवास के बाद सेटिलमेन्ट हुआ तब नैनूराम अकेले के नाम पटटा बन गया। प्रत्यर्थी के पिता के स्वर्गवास के समय प्रत्यर्थी नाबालिग था और प्रत्यर्थी के संरक्षक नैनूराम ही थे। नैनूराम ने ही प्रत्यर्थी को पाल पोष कर बडा किया और बालिग होने पर अलग अलग कब्जा कराया। वादग्रस्त आराजी पैतृक होना दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित है इसलिये अपीलीय न्यायालय ने दावा सही रूप से डिक्री किया है।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्थिति स्पष्ट होती है कि मौखिक साक्ष्य में गवाहान द्वारा आराजी को पैतृक सम्पति होना बताया है जिसकी ताईद पत्रावली में उपलब्ध खसरा गिरदावरियों से होती है। मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण ने कोई खण्डन नहीं किया है। प्रत्यर्थी वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का जब अपीलार्थीगण ने कोई खण्डन नही किया तो उसे न मानने का कोई आधार नहीं है। स्वयं कुनाराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामा पेश किया है जो पत्रावली में तस्दीक शुदा है। सेटिलमेन्ट के समय प्रत्यर्थी नाबालिग होने से अपीलार्थीगण के पिता व दादा कर्ता खानदान होने से उनके अकेले के नाम

पटटा बन जाने से प्रत्यर्थी का 1/2हिस्सा समाप्त होना नहीं माना जा सकता है। कुनाराम ने राजीनामे में प्रत्यर्थी के कथन को स्वीकार किया है। इसलिये अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर वाद को डिक्री करने में कोई विधिक भूल नहीं की है।

8. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य